न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 34 / 2017

1 बाबूलाल पुत्र भोलूराम।
2 फूली देवी पत्नी मंगलचन्द।
3 रामावतार पुत्र मंगलचन्द।
4 सोहन उर्फ सुभाष पुत्र मंगलचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण कारोई तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 झुथाराम पुत्र धोकलराम जाति जाट निवासी ग्राम कारोई तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 सरोज पुत्री मंगलचन्द पत्नी रामावतार।
3 सुमन पुत्री मंगलचन्द पत्नी मुकेश।
4 प्रमोदी पुत्री मंगलचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण लोहारवाड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
5 गुलाबी पुत्री भोलू पत्नी सुरजाराम।
6 मैना देवी पुत्री भोलू पत्नी गोपाल।
7 संतोष देवी पुत्री भोलू पत्नी नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण रानीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
8 अणची पत्नी भोलूराम जाति जाट निवासी ग्राम कारोई तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट खण्डेला सीकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट संख्या 4/2013 उनवानी झुंथाराम बनाम बाबूलाल वगैरह दिनांक 18.04.2017

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जयराम कुड़ी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री मनोज भार्गव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा संख्या 04/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया। जिसमें उसके द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया कि भूमियां खसरा नम्बर 871,872, 873 अवस्थित तन ग्राम सलेदीपुरा पटवार हल्का केरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित है। भूमि खसरा नम्बर 872 से अपनी भूमि खसरा नम्बर 873 में काश्त करने के लिए आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 872 की दिशा दक्षिण सीमा के सहारे सहारे 10 फुट चोड़ा रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने आपसी सहमती से मौके पर कायम किया है, जिसे नजरी नक्शा ट्रेस में दर्शित किया गया है। जिससे प्रार्थी आवागमन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करता आ रहा है। प्रार्थी का आवागमन का एक मात्र यही रास्ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में बाधा कारित उत्पन्न करते है एवं रास्ता को अवरूद्व कर दिया है। जिससे प्रार्थी का अकथनीय क्षति हो रही है तथा काफी परेशानी हो रही है। उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में कायम नहीं होने से प्रार्थी का सख्त हक तलफी है तथा प्रार्थी को अकथनीय क्षति हो रही है। प्रार्थी के अप्रार्थी आवागमन में बाधा कारित करते है। इसलिये प्रार्थी को 10 फिट चौड़ा रास्ता आवागमन के लिये दिलाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से रेस्पोडेंट का आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विचाराधीन आदेश पारित किया है। ऐसा आदेश विधि विरूद्व है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार अथवा आई.एल.आर. की रिपोर्ट प्राप्त नही की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1128 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं विचाराधीन आदेश अपास्त करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि केवल खसरा नम्बर 880 मे डोटेड लाईन से रास्ता दर्शाया गया है। शेष कोई रास्ता अंकित नही है खसरा नम्बर 892,893,9,894,896 की खातेदारी अन्य खातेदारों के नाम है। विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता निकटतम है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवल खसरा नम्बर 880 मे डोटेड लाईन से रास्ता दर्शाया गया है। शेष कोई रास्ता अंकित नही है खसरा नम्बर 892,893,9,894,896 की खातेदारी अन्य खातेदारों के नाम है। विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता निकटतम है। विचारण न्यायालय में उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर